-224-

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

मई, 2017

**मि0 सं0 2–19/2007 (ए0एम0पी0सी0) पी0 टी0 III**

सार्वजनिक सूचना

**विषयः– आई0 आई0 पी0 एम0, नई दिल्ली के अमान्य दर्जे के बारे में।**

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं छात्र, छात्राओं को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) के अनुसार इन्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एण्ड मेनेजमेन्ट (**आई0 आई0 पी0 एम0**), 133/4, कुतुब इंक्लेव, फेज II, नई दिल्ली–16 विश्वविद्यालय नहीं है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम की धारा 22(3) में विर्निदिष्ट डिग्री प्रदान करने का आई0 आई0 पी0 एम0 को कोई अधिकार नहीं है।

यह भी सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आई0 आई0 पी0 एम0 को बी0बी0ए0/बी0सी0ए0/एम0बी0ए0 स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत नही किया है और न ही मान्यता प्रदान की है। **माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनॉक 26.09.2014 में मुकदमा शीर्षक बी0 महेश शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य के अन्तर्गत** आई0 आई0 पी0 एम0 को किसी भी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत डिग्री प्रदान करने के लिए रोक लगाई है।

**सचिव**